



प्रेस विज्ञप्ति

05.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड ने 02.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फैशन गोल्ड मामले (धोखाधड़ी का मामला) में लगभग 19.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनी और इसके अध्यक्ष एम.सी. कमरुद्दीन, प्रबंध निदेशक टी.के. पूकोयाथंगल और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने केरल पुलिस द्वारा कन्नूर और केरल के कासरगोड जिले में फैशन गोल्ड कंपनियों, एम.सी. कमरुद्दीन, टी.के. पूकोयाथंगल और अन्य के खिलाफ दर्ज 168 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच, कन्नूर द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा देने के बेईमान इरादे से जनता से भारी जमा राशि एकत्र की। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये की कुल राशि हड़पी गई।

ईडी की जांच में पता चला है कि फैशन गोल्ड कंपनियों को जनता से जमा स्वीकार करने का अधिकार नहीं था और इसलिए उन्होंने कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों से शेयर पूंजी/अग्रिम में निवेश की आड़ में जनता से जमा प्राप्त करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, निवेशकों, जिनमें ज्यादातर एनआरआई थे, को कंपनी में निदेशक/शेयरधारक बनाया गया। आरोपियों ने फैशन गोल्ड कंपनी के फंड से अपने व्यक्तिगत नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन संपत्तियों का निपटान/हस्तांतरण किया और फंड हड़प लिए गए।

आगे की जांच जारी है।